न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 33 / 2023

वादी गण	बनाम प्रतिवादीगण
भारमलराम पुत्र टीकमाराम उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी धूरियावास, होडू तहसील सिणधरी	1.ऊदीदेवी पत्नि केहराराम उम्र 75 वर्ष 2.रामाराम पुत्र केहराराम उम्र 39 वर्ष जातियान जाट निवासी धूरियावास, होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. वादी भारमलराम उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 3 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 14.12.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या80 रकबा 7.7260 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम मौजा डेलूओं की ढाणी तथा खसरा संख्या 45 रकबा 0.3398 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 2 का 3/8 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग–अलग हिस्से दर्ज है एवं इसी हिस्सों में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एव विप्रार्थी[illegible] मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से [illegible] के कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवारे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया [illegible] आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:08 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है. साथ ही अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा मे प्रार्थी के कब्जे काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि-भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नही है. क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है प्रार्थी को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है,कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 80 रकबा 7.7260 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम मौजा डेलूओं की ढाणी तथा खसरा संख्या 45 रकबा 0.3398 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जायें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या80 रकबा 7.7260 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम मौजा डेलूओं की ढाणी तथा खसरा संख्या 45 रकबा 0.3398 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 2 का 3/8 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुरूप हिस्साकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में उपरोक्तानुसार अलग-अलग हिस्से दर्ज है। जहां तक प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार [illegible] पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को [illegible] कर रहे है व से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण [illegible] उसके कब्जे काश्त रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को [illegible] की स्थिति में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे [illegible] देते है के सन्दर्भ में विप्रार्थी द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया गया है यह साबित होता हो कि भी अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्रतिपादित नहीं होता है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त को लेकर पाबन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत बंटवाड़े को प्रश्न है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

के आधार पर तय होगा ? ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:47:08 IST
Reason: SelfAttested